

राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ, जयपुर

एकलपीठ सिविल विविध अपील संख्या-2504 / 2022

आदेश दिनांक:-

28.09.2022

माननीय न्यायाधिपति श्री प्रकाश गुप्ता

उपस्थित:-

अधिवक्ता वास्ते अपीलार्थी :- श्री संदीप जैन

अधिवक्ता वास्ते प्रत्यर्थी :-

यह अपील 52 दिन के विलम्ब से प्रस्तुत की गई है जिसे क्षमा करने हेतु धारा-5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है ।

सुना गया ।

प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों व कारणों को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए 52 दिन के विलम्ब को क्षमा किया जाता है ।

सुना गया ।

प्रत्यर्थीगण को अपील व स्थगन प्रार्थना पत्र के नोटिस दिनांक 04.11.2022 की वापसी के लिए जारी किए जावें ।

योग्य अधिवक्ता अपीलार्थी इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही एक सप्ताह में करें ।

अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब किया जावे ।

यदि अपीलार्थी द्वारा एक माह की अवधि में न्यायालय आयुक्त कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923, अजमेर एवं श्रम न्यायालय अजमेर द्वारा पारित निर्णय व पंचाट दिनांक 26.05.2022 की सम्पूर्ण राशि अधीनस्थ न्यायालय में जमा करा दी जाती है तो आगामी आदेश तक आक्षेपित निर्णय व पंचाट की क्रियान्विति/निष्पादन की कार्यवाही स्थगित रहेगी ।

विद्वान अधीनस्थ न्यायालय को निर्देश दिये जाते हैं कि उपरोक्तानुसार राशि जमा होने पर उक्त राशि का वितरण इस न्यायालय के आदेश के बिना प्रत्यर्थी/क्लेमेंट्स को नहीं किया जावे तथा उसे किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में स्थायी खाते के रूप में जमा कराया जावे ।

पत्रावली दिनांक 04.11.2022 को न्यायालय के समक्ष सूचीबद्ध की जावे ।

(न्या० प्रकाश गुप्ता)